भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 483
दिनांक 09.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

फीफा विश्व कप परियोजनाओं में मरने वाले श्रमिक

483. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
श्रीमती कविता मलोथू:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि तेलंगाना सहित देश के कई श्रमिकों की कतर में फीफा विश्व कप परियोजनाओं पर काम करते हुए मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें राज्य के मृतक श्रमिकों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतर सरकार ने फीफा विश्व कप परियोजनाओं में कार्य करते समय मरने वाले श्रमिकों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे श्रमिकों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए राजनयिक या राजनीतिक स्तर पर कोई परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस मुद्दे को कतर सरकार के समक्ष नहीं उठाए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[वी. मुरलीधरन]

(क)से (ङ) जब भी हमारे मिशनों/केंद्रों को सुरक्षा और सलामती से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो वे यह मामला तर्कसंगत समाधान होने तक उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित देशों के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाते हैं। कतर के श्रमिक कानूनों में मौत के प्रकार और कारण के आधार पर मुआवजे का प्रावधान है। दोहा में मौजूद भारतीय राजदूतावास द्वारा मृत्यु के मामलों में मुआवजे के लिए सक्रिय कार्रवाई की जाती है ताकि मृतक के वैध उत्तराधिकारी, जो स्थानीय कानूनों के अनुसार मृत्यु के मुआवजे के हकदार हैं, को उचित मुआवजा मिले।

*****